प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय

एकल पीठ: माननीय न्यायमूर्ति श्री संजय के. अग्रवाल

विविध अपील (सी) क्रमांक 1023/2008

अपीलार्थी	सरफराज खान
	विरुद्ध
प्रत्यर्थीगण	श्री रमेश कुमार कश्यप एवं अन्य

एवं

विविध अपील (सी) क्र. 1004/2008

अपीलार्थी	शाखा प्रबंधक, द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
	विरुद्ध
प्रत्यर्थीगण	सरफराज खान व अन्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 173 के अंतर्गत विविध अपील)

उपस्थित:

श्री आर.के. जैन दावाकर्ता के अधिवक्ता।

श्री पंकज अग्रवाल, बीमा कंपनी के अधिवक्ता।

अन्य प्रत्यर्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं।

निर्णय

(25.11.2013 को पारित)

1. इस अपील का निराकरण एम.ए.(सी) क्रमांक 1004/2008 (शाखा प्रबंधक विरुद्ध सरफराज खान और अन्य) के निराकरण से भी शासित होगा, क्योंकि दोनों प्रकरण एक ही दुर्घटना से संबंधित हैं और प्रथम अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, बिलासपुर, छत्तीसगढ़

(संक्षेप में 'दावा न्यायाधिकरण') द्वारा दावा प्रकरण क्रमांक 328/2007 में दिनांक 30/04/2008 को पारित एक ही अधिनिर्णय पर आधारित हैं। चूंकि इसमें तथ्य और विधि के समान प्रश्न सम्मिलित हैं, इसलिए इनकी सुनवाई एक साथ की गई और इस सामान्य निर्णय द्वारा इनका निराकरण किया जा रहा है। यद्यपि, सुविधा के लिए, एम.ए.(सी) क्रमांक 1023/2008 को मुख्य प्रकरण के रूप में लिया गया है।

2. अपीलार्थी/दावाकर्ता ने एम.ए.(सी) क्रमांक 1023/2008 दावा में वृद्धि हेतु संस्थित किया है, जबकि बीमा कंपनी ने एम.ए.(सी) क्रमांक 1004/2008 संस्थित कर उस पर दायित्व अधिरोपित करने वाले अधिनिर्णय को निरस्त करने की मांग की है।

<u>तथ्य:</u>

3. मुख्य प्रकरण को संस्थित करने वाले तथ्य, अर्थात् एम.ए.(सी) क्रमांक 1023/2008 का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:-

3.1 दावाकर्ता सरफराज खान ने प्रतिकर की मांग करते हुए दावा याचिका क्रमांक 328/2007 प्रस्तुत की, जिसमें अन्य बातों के अतिरिक्त यह बताया गया कि दुर्घटना के दिन, अर्थात दिनांक 23/05/2007 को रात्रि 11:30 बजे, वह रमेश कुमार कश्यप के स्वामित्व वाले और न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से बीमित ट्रक (पंजीयन क्रमांक CG-04/J/1884) से रायपुर से बिलासपुर लौट रहे थे। जब वह इंद्रपुरी हिर्री माइंस के पास पहुंचे, तो आदिल अहमद कुरैशी के स्वामित्व वाले और ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से बीमित ट्रक (पंजीयन क्रमांक CG-10/C/8786), जिसे मोहम्मद लायक चला रहे थे, ने लापरवाही और तेज गति से उनके ट्रक को टक्कर मार दी, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसके बाद उनके बाएं पैर को घुटने के ऊपर से काटना पड़ा। उन्होंने एक आवेदन मोटर यान अधिनियम की धारा 163-ए के अंतर्गत प्रस्तुत किया। दोनों वाहनों के स्वामी, चालक और बीमाकर्ता से संयुक्त रूप से और अलग-अलग रूप से ब्याज सहित 16,20,000 रुपये तक के प्रतिकर का दावा किया गया है।

3.2 न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी ने अपना लिखित कथन प्रस्तुत किया और दावाकर्ता द्वारा प्रस्तुत आवेदन का विरोध करते हुए अन्य बातों के साथ कहा कि दावाकर्ता सरफराज खान (ट्रक क्रमांक सीजी-04/जे/1884 का चालक) स्वयं वाहन चलाने में लापरवाह था और उसके पास ट्रक चलाने का वैध और प्रभावी लाइसेंस नहीं था।

3.3 विद्वान दावा न्यायाधिकरण ने साक्ष्यों की गहन विश्लेषण के बाद आवेदन को आंशिक रूप से स्वीकार किया और निम्नलिखित निष्कर्ष अभिलिखित किए कि:

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(i) यह योगदायी उपेक्षा का प्रकरण नहीं है।

(ii) दावाकर्ता सरफराज खान, जो चालक है, 75% तक स्थायी रूप से विकलांग हो गया है और उसकी कमाई की क्षमता में 100 प्रतिशत की कमी आई है।

(iii) दावाकर्ता 6% ब्याज सहित कुल 6,73,000 रुपये की राशि का अधिकारी था।

(iv) ट्रक क्रमांक CG-04/J/1884 रमेश कुमार कश्यप के स्वामित्व में था और न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से विधिवत बीमित था, इसलिए चालक, मालिक और बीमा कंपनी प्रतिकर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं।

4. दावाकर्ता की ओर से उपस्थित हुए विद्वान अधिवक्ता श्री आर.के. जैन ने यह तर्क दिया कि चिकित्सा खर्चों के लिए दावाकर्ता ने 1,50,000 रुपये के चिकित्सा बिल प्रस्तुत किए हैं और उन्हें साबित भी कर दिया है, जबकि दावा न्यायाधिकरण ने केवल 15,000 रुपये की राशि ही प्रदान करने का अधिनिर्णय पारित किया है, इसलिए वह पहले से ही अधिनिर्णीत राशि के अतिरिक्त 1,35,000 रुपये का अधिकारी है।

5. इसके विपरीत, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की ओर से उपस्थित अधिवक्ता श्री पंकज अग्रवाल ने तर्क दिया कि मोटर यान अधिनियम की धारा 163 (ए) के तहत विरचित एवं प्रस्तुत की गई दावा याचिका पोषणीय नहीं है, क्योंकि दावाकर्ता/चालक स्वयं वाहन चलाने में लापरवाही बरत रहा था और उसे कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 के प्रावधानों के अंतर्गत दावा प्रस्तुत करना चाहिए था। उन्होंने आगे तर्क दिया कि स्थायी विकलांगता और आय अर्जन क्षमता में कमी का प्रतिशत गलत तरीके से 100 प्रतिशत माना गया है और इसलिए प्रतिकर का अधिनिर्णय अपास्त किया जाना चाहिए।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

6. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं का तर्क श्रवण किया है और यहाँ प्रस्तुत उभय पक्षकारों के तर्कों पर विचार किया है तथा दावा न्यायाधिकरण के अभिलेख का अवलोकन किया है।

<u>एम.ए.(सी) क्र. 1023/2008:</u>

7. दावाकर्ता ने मोटर यान अधिनियम की धारा 163-ए के तहत दावा याचिका प्रस्तुत किया और 1,50,000 रुपये के चिकित्सा व्यय का दावा किया। मोटर यान अधिनियम की धारा 163-ए एक विशेष प्रावधान है जो संरचित सूत्र के आधार पर क्षतिपूर्ति के भुगतान से संबंधित है। दूसरी अनुसूची, मोटर यान अधिनियम की धारा 163-ए के तहत अधिनियमित की गई है। जिसमें चोट और विकलांगता की स्थिति में सामान्य क्षतिपूर्ति का प्रावधान भी शामिल है, जो इस प्रकार है:

4. चोट और विकलांगता की स्थिति में सामान्य क्षतिपूर्ति:		
(i)	*दर्द और पीड़ा*	*₹ 5,000*

(a)	*गंभीर चोटें*	*₹ 1,000*
(b)	*गैर-गंभीर चोटें*	*₹ 15,000*
(ii)	*चिकित्सा व्यय – बिल/वाउचर द्वारा समर्थित वास्तविक व्यय, लेकिन एकमुश्त भुगतान से अधिक नहीं।*	

8. उपरोक्त प्रावधान का सरसरी तौर पर अध्ययन करने से यह स्पष्ट होता है कि विधायिका ने चिकित्सा व्यय के लिए ₹15,000 की सीमा निर्धारित की है, यदि वास्तविक व्यय बिलों और वाउचरों द्वारा समर्थित हो, लेकिन यह सीमा ₹15,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार, दावा न्यायाधिकरण ने चिकित्सा व्यय के लिए केवल ₹15,000 ही स्वीकृत किए हैं, जो कि उचित है। दावा न्यायाधिकरण द्वारा यह निष्कर्ष कि दावेदार ₹15,000 से अधिक चिकित्सा व्यय का अधिकारी नहीं है, अभिलेख में उपलब्ध सामग्री पर आधारित है और इसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः, दावेदार द्वारा चिकित्सा व्यय मद में वृद्धि की मांग करते हुए प्रस्तुत की गई एम.ए. (सी) क्रमांक 1023/2008 खारिज किए जाने योग्य है और तदनुसार खारिज की जाती है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

<u>एम.ए. (सी) क्र. 1004/2008:</u>

9. बीमा कंपनी की इस अभिवाक पर विचार करने के अनुक्रम में कि मोटर वाहन अधिनियम की धारा 163-ए के तहत दावाकर्ता द्वारा प्रस्तुत आवेदन पोषणीय नहीं था, मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 163-ए पर ध्यान देना सुसंगत होगा, जो इस प्रकार है:

> ***163-ए संरचित सूत्र के आधार पर क्षतिपूर्ति के भुगतान के लिए विशेष प्रावधान-*** *(1) इस अधिनियम या किसी अन्य विधि में, जो तत्समय लागू हो या विधि का बल रखने वाले किसी दस्तावेज में, किसी बात के होते हुए भी, मोटर यान के स्वामी या अधिकृत बीमाकर्ता, मोटर यान के उपयोग से उत्पन्न दुर्घटना के कारण मृत्यु या स्थायी विकलांगता की स्थिति में, द्वितीय अनुसूची में दर्शाए गए प्रतिकर का भुगतान विधिक उत्तराधिकारियों या पीड़ित को, जैसा भी प्रकरण हो, करने के लिए उत्तरदायी होंगे।*
>
> *स्पष्टीकरण.- इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, "स्थायी विकलांगता" का वही अर्थ और सीमा होगी जो कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 (1923 का 8) में है।*

(2) उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रतिकर के किसी भी दावे में दावेदार को यह तर्क देने या साबित करने की आवश्यकता नहीं होगी कि जिस मृत्यु या स्थायी विकलांगता के संबंध में दावा किया गया है, वह संबंधित वाहन या वाहनों के मालिक या किसी अन्य व्यक्ति के किसी सदोष कार्य या लापरवाही या चूक के कारण हुई थी।

(3) केंद्र सरकार, जीवन निर्वाह लागत को ध्यान में रखते हुए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा समय-समय पर द्वितीय अनुसूची में संशोधन कर सकती है।]

10. मोटर यान अधिनियम की धारा 163-ए में गैर-बाधा खंड का प्रयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है। वर्तमान प्रकरण में, प्रतिकर की मांग वाला आवेदन विशेष रूप से मोटर यान अधिनियम की धारा 163-ए के तहत प्रस्तुत किया गया था। मोटर यान अधिनियम की धारा 163-ए में निहित प्रावधान यह दर्शाता है कि इसके बाद भी मोटर यान अधिनियम या तत्समय लागू किसी अन्य विधि या विधि के समान बल रखने वाले किसी भी दस्तावेज में निहित किसी भी प्रावधान के अंतर्गत, मोटर यान के मालिक या अधिकृत बीमाकर्ता, मोटर यान के उपयोग से उत्पन्न दुर्घटना के कारण मृत्यु या स्थायी विकलांगता की स्थिति में, कानूनी उत्तराधिकारियों या पीड़ित को, जैसा भी प्रकरण हो, दूसरी अनुसूची में दर्शाए गए अनुसार प्रतिकर देने के लिए उत्तरदायी होंगे।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

11. सर्वोच्च न्यायालय ने **दीपल गिरीशभाई सोनी और अन्य विरुद्ध यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, बड़ौदा**[1] के मामले में अधिनियम की धारा 163-ए पर विचार करते हुए यह अभिनिर्धारित किया कि:

64. यह विवादित नहीं है कि मृत्यु या शारीरिक चोट के बाद भी प्रतिकर का दावा अन्य विधियों के अंतर्गत भी उत्पन्न हो सकता है, जैसे कि, उदाहरण के लिए, कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम, कारखाना अधिनियम, घातक दुर्घटना अधिनियम और खतरनाक उद्योगों सहित विभिन्न उद्योगों को नियंत्रित करने वाले अन्य अधिनियम।

66. हम देख सकते हैं कि अधिनियम की धारा 167 में यह प्रावधान है कि यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु या शारीरिक चोट के कारण अधिनियम और कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 के अंतर्गत प्रतिकर का दावा उत्पन्न होता है, तो वह दोनों अधिनियमों के अंतर्गत प्रतिकर का दावा नहीं कर सकता। मोटर वाहन अधिनियम में विभिन्न अभिव्यक्तियाँ हैं, जैसे, उदाहरण के लिए, "अधिनियम के प्रावधान के अंतर्गत", "इस अधिनियम के प्रावधान", "इस अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान के अंतर्गत" या "किसी अन्य विधि या अन्यथा"। धारा 163-ए में, "इस अधिनियम

[1] (2004) 5 SCC 385)

या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में निहित किसी बात के होते हुए भी" अभिव्यक्ति का प्रयोग किया गया है। जिससे यह स्पष्ट होता है कि संसद का उद्देश्य एक व्यापक प्रकृति का गैर-बाधाकारी खंड शामिल करना था, जिसका अर्थ यह होगा कि अधिनियम में उपस्थित विपरीत प्रावधानों के बाद भी धारा 163-ए लागू होगी। यह अधिनियम उन मामलों को भी आच्छादित करता है जहां पीड़ित की ओर से भी लापरवाही हुई हो। यह धारा 166 का अपवाद है और सामाजिक न्याय की अवधारणा का उचित ध्यान रखा गया है।

12. **दीपल गिरीशभाई सोनी और अन्य (उपरोक्त)** के निर्णय में निर्धारित अनुपात वर्तमान प्रकरण के तथ्यों पर पूरी तरह लागू होता है, और चोटिल दावाकर्ता मोटर यान अधिनियम की धारा 163-ए के तहत प्रतिकर का दावा करने का अधिकारी है, जो उसे मोटर यान के उपयोग से हुई स्थायी विकलांगता के लिए दिया गया है, और पीड़ित की लापरवाही असंगत है और अधिनियम की धारा 163-ए के तहत आवेदन पोषणीय होगा। इस प्रकार, दावा न्यायाधिकरण द्वारा इस संबंध में दिया गया निष्कर्ष न्यायसंगत और उचित है और इसकी पुष्टि की जाती है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

13. श्री अग्रवाल द्वारा आगे यह तर्क दिया गया कि न्यायाधिकरण ने दावाकर्ता के बाएं पैर को घुटने के ऊपर से काटने के कारण उसकी कमाई की क्षमता में 100 प्रतिशत हानि होने के संबंध में अभिनिर्धारित कर विधिक त्रुटि की है।

14. **प्रताप नारायण सिंह देव विरुद्ध श्रीनिवास सबता और अन्य**[2] के प्रकरण में, बढ़ई के बाएं हाथ का कोहनी के ऊपर से विच्छेदन हो गया था, सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित निष्कर्षों के आधार पर कमाई की क्षमता में 100 प्रतिशत हानि को मान्यता दी:

5. अधिनियम की धारा 2 (1) (1) में "पूर्ण अक्षमता" को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:

(1) "पूर्ण अक्षमता" से तात्पर्य ऐसी अक्षमता से है, चाहे वह अस्थायी हो या स्थायी, जो किसी कामगार को उस सभी काम के लिए अक्षम कर दे जिसे वह ऐसी अक्षमता उत्पन्न करने वाली दुर्घटना के समय करने में सक्षम था।"

हमारे समक्ष इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि चोट इस प्रकार की थी जिससे उत्तरवादी को स्थायी विकलांगता हो गई, और विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या विकलांगता के कारण उत्तरवादी दुर्घटना के समय उन सभी कार्यों को करने में असमर्थ हो गया था जिन्हें वह करने में सक्षम था। आयुक्त ने इस प्रश्न का विश्लेषण किया और अपना निष्कर्ष इस प्रकार अभिलिखित किया:

[2] AIR 1976 SC 222

"इस प्रकरण में चोटिल कर्मकार पेशे से बढ़ई है। कोहनी के ऊपर बायां हाथ कट जाने के कारण वह स्पष्ट रूप से बढ़ई का काम करने में असमर्थ हो गया है, क्योंकि बढ़ई का काम केवल एक हाथ से नहीं किया जा सकता है।"

यह स्पष्ट रूप से एक तर्कसंगत और सही निष्कर्ष है। अपीलार्थी के अधिवक्ता इसे किसी भी आधार पर चुनौती नहीं दे पाए हैं और इस अपील में इसे सुधारने की आवश्यकता नहीं है। अनुसूची I के भाग II के मद 3 के संदर्भ में दिए गए दूसरे तर्क का भी कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि आयुक्त के समक्ष अपीलार्थी का यह प्रकरण नहीं था कि भुजा का विच्छेदन एक्रोमियन के सिरे से 8" से लेकर ओलेक्रानोन के सिरे 4½ नीचे तक था। इसलिए, ऐसे तथ्यों के आधार पर कोई नया प्रकरण स्थापित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है जिन्हें स्वीकार या स्थापित नहीं किया गया है।

15. **एस. सुरेश विरुद्ध ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और अन्य**[3] के प्रकरण में निर्णय में, ट्रक चालक के दाहिने पैर का घुटने के ठीक नीचे से विच्छेदन हो गया था, सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित निष्कर्षों के आधार पर माना कि आय अर्जन क्षमता में हानि 100 प्रतिशत होगी:-

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

हमारे अभिमत है कि, उक्त निर्णय का अनुपात वर्तमान तथ्यों पर पूर्णतया लागू होता है। हमारा मत है कि घुटने के नीचे दाहिना पैर कट जाने के कारण, वह चालक के रूप में काम करने के लिए अयोग्य हो गए हैं, जो कार्य वह दुर्घटना के समय कर रहे थे जिसके परिणामस्वरूप विकलांगता हुई । इसलिए, उन्होंने ट्रक चालक के रूप में अपनी आय अर्जन की क्षमता का 100 प्रतिशत खो दिया है, और तो और, मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत उन्हें वाहन चालन अनुज्ञप्ति (ड्राइविंग लाइसेंस) प्राप्त करने से भी अयोग्य घोषित कर दिया गया है।

16. **के. जनार्दन विरुद्ध यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और अन्य**[4] के प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित निष्कर्षों के आधार पर यह माना कि टैंकर चालक का दाहिना पैर घुटने के जोड़ तक कट गया था और उसकी आय अर्जन की क्षमता में 100 प्रतिशत की कमी आई थी:-

उपरोक्त निर्णय के अनुपात को वर्तमान प्रकरण के तथ्यों पर लागू करते हुए, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि अपीलार्थी भी टैंकर चालक के रूप में

[3] 2010 ACJ 487
[4] 2008 ACJ 2039

अपनी आजीविका अर्जन में 100 प्रतिशत अक्षम और असमर्थ हो गया है क्योंकि उसका का दाहिना पैर (घुटने तक का हिस्सा) काट दिया गया था। इसके अतिरिक्त, मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 8 और 9 से स्पष्ट है कि अपीलार्थी अब वाहन चालन अनुज्ञप्ति (ड्राइविंग लाइसेंस) प्राप्त करने के लिए भी अयोग्य हो जाएगा।

17. वर्तमान प्रकरण में, दावाकर्ता पेशे से वाहन चालक (ड्राइवर) है और उसके बाएं पैर का घुटने के ऊपर से विच्छेदन हो गया है, परिणामस्वरूप वह चालक कार्य के लिए अयोग्य है, जो कार्य वह दुर्घटना के समय कर रहा था, जिसके लिए अयोग्य हो गया है। अतः **प्रताप नारायण सिंह देव, एस. सुरेश और के. जनार्दन (उपरोक्त)** के निर्णयों और इस मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, मैं पाता हूं कि दावा न्यायाधिकरण ने दावाकर्ता की आय अर्जन की क्षमता में 100 प्रतिशत की हानि अभिनिर्धारित करने में कोई त्रुटि नहीं की है और इस संबंध में अभिलिखित निष्कर्ष की पुष्टि की जाती है। इसलिए, बीमा कंपनी द्वारा प्रस्तुत एम.ए. (सी) क्रमांक 1004/2008 खारिज किए जाने योग्य है और तदनुसार खारिज किया जाता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-

संजय के. अग्रवाल

न्यायमूर्ति

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By : Kamlesh Kumar Sahu